



जालोर

Rashtradoot

फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424

वर्ष: 19 संख्या: 247

प्रभात

जालोर, शुक्रवार 13 दिसम्बर, 2024

पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को उतारेगी कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में

संदीप की मां शीला दीक्षित, पन्द्रह साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थीं, पर उन्हें हराकर केजरीवाल ने धमाका किया था, तथा आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी

- रेणु मित्तल -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो -
नई दिल्ली, 12 दिसंबर दिल्ली विधानसभा के चुनावों में नई दिल्ली संसद से संदीप दीक्षित के पुत्र हैं शीला दीक्षित की भाइ और अविन्द केजरीवाल का मुकाबला करेंगे।

संदीप दीक्षित दिल्ली पर 15 साल राज करने वाली शीला दीक्षित के पुत्र हैं शीला दीक्षित की भाइ और अविन्द केजरीवाल की सत्ता पर काबिज हुए थे।

चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं है, और दोनों पार्टियां आमने-सामने चुनाव लड़ेंगी।

- जैसा कि विदित ही है आगामी विधानसभा चुनाव में, आप व कांग्रेस में कोई चुनावी गठबंधन या चुनावी समझौता नहीं है, और दोनों पार्टियां आमने-सामने चुनाव लड़ेंगी।
- कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए इक्कीस उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल भी कर दी है।
- दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष देवेन्द्र यादव बदली से चुनाव लड़ेंगे। देवेन्द्र यादव पंजाब के प्रभावी भी हैं।
- अब सवाल यह है कि क्या इन तीनों भूमिकाओं के साथ देवेन्द्र यादव न्याय कर पाएंगे?
- पर, क्या, पार्टी नई नियुक्तियां कर संगठन व पार्टी के रिक्त पद भरने की हिम्मत जुटा पाएंगी?

इससे यह सवाल पूछा जा रहा है कि यह है कि पी. सी. सी. प्रमुख पंजाब में अगर प्रेस अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के प्रभावी भी हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिंधिया से माफी
मांगी कल्याण
बनर्जी ने

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो -

नई दिल्ली, 12 दिसंबर तुणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपनी टिप्पणी के लिए और दोनों नेताओं के विवाद के कारण लोकाल स्थगित होने के लिए सदन में सभी माफी मांगी।

गुरुवार को सदन की शुरूआत के साथ ही शीला भाजपा सदस्यों ने यह मुद्रा उठाया तो स्पीकर और विडलो ने कहा कि बनर्जी ने लिखित में माफी मांगी है।

- बुधवार को संसद में तुणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद कल सदन स्थगित हो गया था। इसके बाद बनर्जी ने लिखित में माफी मांगी।

बिडलो ने कहा कि बुधवार को सदन में जो कठ भी हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था किसी भी सदस्य को दूसरे पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा कि मतभेद या सहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है दिये जाने के लिए जायेंगे। विचाराधीन के लिए नहीं दिये जायेंगे। विचाराधीन जो 15 अगस्त, 1947 को थी तथा देना उत्तम समझे हैं कि कोई नया केस उनके स्वरूप से सम्बन्धित विवादों पर दर्ज नहीं होगा तथा किसी भी कार्यवाही आदेश पर रोक लगा दे।

मुख्य न्यायाधीश संजेत खत्ता, न्यायमूर्ति पी.वी. संजेत खत्ता, न्यायमूर्ति पी.वी. विचाराधीन की बैंच ने कहा कि अधिनियम इस प्रकार के मुकदमों तथा कार्यवाही के साफातर पर निषेध करता है।

शीर्ष अदालत ने जोर देते हुये कहा कि यह वाक्य है कि बुधवार को सदन में जो कठ भी हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था किसी भी सदस्य को दूसरे पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा कि मतभेद या सहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है दिये जाने के लिए जायेंगे। विचाराधीन के लिए नहीं दिये जायेंगे। विचाराधीन जो 15 अगस्त, 1947 को थी तथा देना उत्तम समझे हैं कि कोई नया केस उनके स्वरूप से सम्बन्धित विवादों पर दर्ज नहीं होगा तथा किसी भी कार्यवाही आदेश पर रोक लगा दे।

मुख्य न्यायाधीश संजेत खत्ता, न्यायमूर्ति पी.वी. विचाराधीन की बैंच ने कहा कि अधिनियम इस प्रकार के मुकदमों तथा कार्यवाही के साफातर पर निषेध करता है।

शीर्ष अदालत ने जोर देते हुये कहा कि यह वाक्य है कि बुधवार को सदन में जो कठ भी हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था किसी भी सदस्य को दूसरे पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा कि मतभेद या सहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है दिये जाने के लिए जायेंगे। विचाराधीन जो 15 अगस्त, 1947 को थी तथा देना उत्तम समझे हैं कि कोई नया केस उनके स्वरूप से सम्बन्धित विवादों पर दर्ज नहीं होगा तथा किसी भी कार्यवाही आदेश पर रोक लगा दे।

मुख्य न्यायाधीश संजेत खत्ता, न्यायमूर्ति पी.वी. विचाराधीन की बैंच ने कहा कि अधिनियम इस प्रकार के मुकदमों तथा कार्यवाही के साफातर पर निषेध करता है।

शीर्ष अदालत ने जोर देते हुये कहा कि यह वाक्य है कि बुधवार को सदन में जो कठ भी हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था किसी भी सदस्य को दूसरे पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा कि मतभेद या सहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है दिये जाने के लिए जायेंगे। विचाराधीन जो 15 अगस्त, 1947 को थी तथा देना उत्तम समझे हैं कि कोई नया केस उनके स्वरूप से सम्बन्धित विवादों पर दर्ज नहीं होगा तथा किसी भी कार्यवाही आदेश पर रोक लगा दे।

मुख्य न्यायाधीश संजेत खत्ता, न्यायमूर्ति पी.वी. विचाराधीन की बैंच ने कहा कि अधिनियम इस प्रकार के मुकदमों तथा कार्यवाही के साफातर पर निषेध करता है।

शीर्ष अदालत ने जोर देते हुये कहा कि यह वाक्य है कि बुधवार को सदन में जो कठ भी हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था किसी भी सदस्य को दूसरे पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा कि मतभेद या सहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है दिये जाने के लिए जायेंगे। विचाराधीन जो 15 अगस्त, 1947 को थी तथा देना उत्तम समझे हैं कि कोई नया केस उनके स्वरूप से सम्बन्धित विवादों पर दर्ज नहीं होगा तथा किसी भी कार्यवाही आदेश पर रोक लगा दे।

मुख्य न्यायाधीश संजेत खत्ता, न्यायमूर्ति पी.वी. विचाराधीन की बैंच ने कहा कि अधिनियम इस प्रकार के मुकदमों तथा कार्यवाही के साफातर पर निषेध करता है।

शीर्ष अदालत ने जोर देते हुये कहा कि यह वाक्य है कि बुधवार को सदन में जो कठ भी हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था किसी भी सदस्य को दूसरे पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा कि मतभेद या सहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है दिये जाने के लिए जायेंगे। विचाराधीन जो 15 अगस्त, 1947 को थी तथा देना उत्तम समझे हैं कि कोई नया केस उनके स्वरूप से सम्बन्धित विवादों पर दर्ज नहीं होगा तथा किसी भी कार्यवाही आदेश पर रोक लगा दे।

मुख्य न्यायाधीश संजेत खत्ता, न्यायमूर्ति पी.वी. विचाराधीन की बैंच ने कहा कि अधिनियम इस प्रकार के मुकदमों तथा कार्यवाही के साफातर पर निषेध करता है।

शीर्ष अदालत ने जोर देते हुये कहा कि यह वाक्य है कि बुधवार को सदन में जो कठ भी हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था किसी भी सदस्य को दूसरे पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा कि मतभेद या सहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है दिये जाने के लिए जायेंगे। विचाराधीन जो 15 अगस्त, 1947 को थी तथा देना उत्तम समझे हैं कि कोई नया केस उनके स्वरूप से सम्बन्धित विवादों पर दर्ज नहीं होगा तथा किसी भी कार्यवाही आदेश पर रोक लगा दे।

मुख्य न्यायाधीश संजेत खत्ता, न्यायमूर्ति पी.वी. विचाराधीन की बैंच ने कहा कि अधिनियम इस प्रकार के मुकदमों तथा कार्यवाही के साफातर पर निषेध करता है।

शीर्ष अदालत ने जोर देते हुये कहा कि यह वाक्य है कि बुधवार को सदन में जो कठ भी हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था किसी भी सदस्य को दूसरे पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा कि मतभेद या सहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है दिये जाने के लिए जायेंगे। विचाराधीन जो 15 अगस्त, 1947 को थी तथा देना उत्तम समझे हैं कि कोई नया केस उनके स्वरूप से सम्बन्धित विवादों पर दर्ज नहीं होग